न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील डिक्री/टी.ए./2006/565/भीलवाड़ा

(2) अपील डिक्री/टी.ए./2006/566/भीलवाड़ा

राधेश्याम पिता बालूराम ब्राहमण (जोशी) निवासी कांवलास, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।

......अपीलान्ट

बनाम

1- रामस्वरूप पिता बालूराम ब्राहमण (जोशी) निवासी बराणा, हाल निवासी खाती की कुई के पास, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा।
2- हरिप्रकाश पिता बालूराम ब्राहमण (जोशी) निवासी बराणा, हाल निवासी पथिक नगर, भीलवाड़ा।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

......रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड-पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित :-

श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक के ब्रीफ होल्डर श्री वैभव पारीक अभिभाषक, अपीलान्ट

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 25 जनवरी, 2021

निर्णय

1- उपर्युक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 3-1-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- इन दोनों अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने के कारण इनकी बहस एक साथ सुनी गयी तथा इनका निस्तारण भी एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने प्रतिवादी अपीलान्ट व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या-3 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विभाजन न्यायालय सहायक कलेक्टर, गुलाबपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 19-4-2005 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19-4-2005 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलान्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3-1-2006 द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानूनी सिद्धान्तों से परे, क्षेत्राधिकार से परे एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है तथा आदेश 41 नियम 31 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है जिसके कारण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अपील न्यायालय ने केवल केवल मात्र कयास के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की है एवं तनकी संख्या-4 का निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में किया जाना अत्यधिक आवश्यक था एवं इस तनकी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने जो अंतिम डिक्री पारित की है वह तहसीलदार की जिस रिपोर्ट के आधार पर है वह रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार नहीं है। इसके उपरान्त भी सभी न्यायालयों ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी व सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न नजीरें पेश की :-

1- आरबीजे-2019 पेज-320
2- आरबीजे-2018 पेज-676
3- आरबीजे-2017 (एल.बी.) पेज-299

4- आरआरडी-2011 पेज-91
5- आरआरडी-1984 (एल.बी) पेज-712
6- डीएनजे-2001 (एससी) पेज-433
7- डीएनजे-2015 (एससी) पेज-169
8- आरआरटी-2014(1) पेज-320
9- आरआरडी-2012 पेज-141
10- आरआरटी-2012(2) पेज-1293
11- आरआरटी-2011(1) पेज-93

6- विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या-2 व 3 ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने विधिसम्मत, तर्कसंगत व न्यायसंगत निर्णय पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने के कारण विचाराधीन अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपील में ऐसे कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे उसे स्वीकार किया जा सके। अतः विचाराधीन अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

7- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं प्रस्तुत नजीरों का भी आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

8- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर-1293/0.04, 2539/0.51, 2540/0.03, 2541/0.41, 2542/0.18, 2543/0.16, 2547/0.41, 3183/5127/0.05, 3427/0.07, 3428/0.02, 3429/0.03, 3430/0.12, 3431/0.05, 3432/0.10, 3433/0.01, 3434/0.02, 3443/0.05, 3457/1.28, 3458/0.02, 3629/3.04, 3630/0.40, 3638/1.54, 3639/2.74, 3661/0.49, 3662/1.90, किता 25 रकबा 13.67 हैक्टेयर पर ई.एक्स. पी-1 जमाबन्दी संवत 2057-60 के अनुसार बालूराम पिता मोहनराज ब्राहमण, साकिन देह खातेदार अंकित है। जमाबन्दी संवत 2061-64 के खाता संख्या-467 में किता 25 रकबा 13.67 हैक्टेयर पर राधेश्याम, रामस्वरूप, हरिप्रकाश पि. बालूराम ब्राहमण, साकिन देह खातेदार ई.नं.-551, 565 दर्ज है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 आपस में सगे भाई हैं व विवादित भूमि पर प्रत्येक 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

9- वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ने निम्न 5 तनकियां कायम की है :-

तनकी सं.1 :- आया वादी वादपत्र की कलम नं.1 में वर्णित आराजीयात किता-25 रकबा 13.67 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के सम्मिलित खाते व कब्जे काश्त की होकर मौजा बराणा मे स्थित है। .....वादीगण

तनकी सं.2 :- आया वादी आराजी जैर बहस में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का 1/3 हक हिस्सा है व इसी हक हिस्से माफिक उक्त आराजीयात पर सम्मिलित रूप से तीनों सहखातेदारान का कब्जा व उपभोग चला आ रहा है। .....वादीगण

तनकी सं.3 :- आया वादी वादपत्र के कलम नम्बर-3 में वर्णित कारणों से वादीगण उक्त आराजीयात का माफिक हिस्सा बंट्वाड़ा कराने का अधिकारी है। .....वादीगण

तनकी सं.4 :- आया जवाबदार बंट्वाड़े के आदेश से पूर्व प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा कराये गये कार्यो और भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-78 के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक है। ......प्रतिवादी-1

तनकी सं.5 :- अनुतोष।

10- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस है कि दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की केवल धारा-53 के तहत प्रस्तुत किया गया है जबकि दावा में धारा-53 के साथ साथ धारा-88 का भी उल्लेख होना चाहिये था, अर्थात बिना खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के विभाजन का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की हैं :-

1- आरआरडी-2011 पेज-1991
2- आरआरडी-1984 (एल.बी.) पेज-712

उक्त नजीरों का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया। आरआरडी-1984 (एल. बी.) पेज-712 में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है :-

(a) Raj. Land Revenue Act, Sec. 11--R.T. Act. Secs. 53&88 - Reference made to L.B. by D.B. as to which of decisions reported in 1982 RRD 158 holding that unrecorded co-tenant can file suit

u/s 53 alone and 1977 RRD 95 holding that unrecoded cotenant cannot file such suit. is correct - Whether Ref. not competint in view of 1977 RRD 233 (L.B.) since D.B., bound by L.B. decision - Held, Ref. competent - Per majority comsesting of Shri Agarwan and Shri Hasan (Shri Dashora dessenting).

प्रस्तुत नजीर में विवादित भूमि क्रय की हुई भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं थी। इस प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 रिकार्डेड खातेदार हैं। उक्त नजीरें इन प्रकरणों पर लागू होती हैं जिनमें पक्षकार रिकार्डेड खातेदार नहीं होते हैं। इन प्रकरणों में पक्षकार रिकार्डेड खातेदार हैं। अतः उपर्युक्त नजीरें इस प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं। अपीलार्थी की यह आपत्ति सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

11- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या-1 से 3 का एक साथ निर्णय किया है जबकि प्रत्येक तनकी का निर्णय पृथक पृथक किया जाना चाहिये था। प्रथम अपीलीय अधिकारी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने सीपीसी के आदेश-41 नियम-31 के प्रावधानों का ध्यान रखे बगैर निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। इस संबंध में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की हैं :- (आदेश-41 नियम-31)

1- डीएनजे-2001 (एससी) 433
2- डीएनजे-2015 (एससी) 169
3- आरआरटी-2014(1) पेज-320

12- उपर्युक्त नजीरों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त अभिमत ऐसे प्रकरण में प्रकट किया है जिसमें विचारण न्यायालय ने वाद निरस्त कर दिया था और प्रथम अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किये बिना वाद डिक्री कर दिया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत है कि सीपीसी के आदेश-41 नियम-31 की पालना की जानी चाहिये। यानि की प्रत्येक तनकी पर अपना मत व्यक्त करते हुये निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिये। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने जो प्रथम तीन तनकियात बनाई हैं वे एक जैसी ही है। इन तीनों तनकियों के बजाय एक ही तनकी बनाई जा सकती थी और उसका निर्णय किया जा सकता था। विचारण न्यायालय ने इन तीनों तनकियों का निर्णय एक साथ व तनकी संख्या-4 का निर्णय पृथक किया है इसलिये विचारण न्यायालय का निर्णय सीपीसी के प्रावधानों

के अनुरूप है। प्रथम अपील अधिकारी न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय में विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री को सही माना है और उस निर्णय को यथावत रखा है। ऐसी स्थिति सीपीसी के आदेश-41 नियम-31 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय यदि विचारण न्यायालय का निर्णय पलटता तब उसे सीपीसी के आदेश-41 नियम-31 के प्रावधानों का पालन करता होता। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरें चस्पा नहीं होती हैं। अतः अपीलार्थी की उक्त आपत्ति भी निरस्त की जाती है।

13- अपीलार्थी की अन्य आपत्ति यह है कि विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश-20 नियम-5 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। इस संबंध में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की हैं :-

1- आरआरडी-2012 पेज-141
2- आरआरटी-2012(2) पेज-1293
3- आरआरटी-2011(1) पेज-93

14- सीपीसी के आदेश-20 नियम-5 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर पृथक पृथक निर्णय करना चाहिये। उपर्युक्त नजीरों में भी यही अभिमत प्रकट किया गया है। हम भी उक्त अभिमतों का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि विचारण न्यायालय को प्रत्येक तनकी का पूर्ण विवेचन करते हुये निर्णय पारित करना चाहिये। पैरा संख्या-12 के अन्तर्गत हम इस बारे में स्पष्ट निवेचन कर चुके हैं कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या-1 से 3 को एक जैसी मानकर निर्णय पारित किया है और तनकी संख्या-4 का पृथक। अतः अपीलार्थी की उक्त आपत्ति सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

15- अपीलार्थी का यह भी कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-78 के तहत तनकी संख्या-4 का निर्णय किया जाना चाहिये था लेकिन वह निर्णय उक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है। तनकी संख्या-4 निम्न प्रकार है :-

तनकी सं.4 :- आया जवाबदार बंट्वाड़े के आदेश से पूर्व प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा कराये गये कार्यो और भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-78 के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक है। ......प्रतिवादी-1

16- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी / अपीलार्थी पर था। प्रतिवादी / अपीलार्थी को यह सिद्ध करना था कि उसने विवादित भूमि को सुधार करने व उसे उपजाऊ बनाने के लिये उसने एक लाख बीस हजार रूपये व्यय किये हैं जिसमें से पिच्चासी हजार रूपये वादीगण / अप्रार्थी संख्या-2 व 3 से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में अपीलार्थी ने कोई भी दस्जावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। साक्ष्य के तौर पर केवल डी.डब्ल्यू.-1 राधेश्याम एवं डी.डब्ल्यू.-2 बंशी के बयान हैं। इस संबंध में प्रतिवादी / अपीलार्थी राधेश्याम ने स्वयं जिरह में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर 1/3 हिस्से पर प्रत्येक पक्षकार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जब वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों भाईयों का पृथक पृथक कब्जा है तो फिर अपीलार्थी / प्रतिवादी द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर भूमि सुधारों की बात सिद्ध नहीं होती है। और यही निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पारित किया है और तनकी संख्या-4 सिद्ध नहीं मानी गई। हम इस निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की उक्त आपत्ति निरस्त की जाती है।

17- अपीलार्थी की अन्तिम आपत्ति है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि तहसीलदार, आसीन्द ने स्वयं मौके पर जाकर मौका पर्चा एवं बंटवारा रिपोर्ट नहीं बनाई, अपितु पटवारी ने रिपोर्ट बनाई है। जिस पर तहसीलदार ने केवल प्रति हस्ताक्षर किये हैं। इसलिये राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अतः उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई अन्तिम डिक्री निरस्त की जाये। नियम-18 से 21 के अनुसार तहसीलदार से उभय पक्षों की उपस्थिति में पुनः बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

18- तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का बराणा ने तैयार की है और तहसीलदार, आसीन्द को प्रेषित की है जिसके अन्त में तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर हैं। उक्त रिर्पोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट तहसीलदार, आसीन्द ने नहीं बनाई, अपितु पटवारी हल्का बराणा ने तैयार की है जो कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के तहत तैयार नहीं की गई है।

19– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस संबंध में निम्न नजीरें प्रस्तुत की हैं :–

1– आरबीजे–2019 पेज–320
2– आरबीजे–2018 पेज–676
3– आरबीजे–2017 (एल.बी.) पेज–299

आरबीजे–2017 (एल.बी.) पेज–299 ने कैलश बनाम रमेश प्रकरण में लार्जर बैंच ने इस संबंध में निम्न अभिमत प्रस्तुत किया है :–

"The Following question was Referred by the D.B-l to The Larger Bench: WHETHER UNDER RULE 18 TO 20 OF RAJASTHAN TENANCY (Board of Revenue) Rules 1955. The proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may Sub-delegate his administrative power in respect of preparation of Proposal for division.

The Larger Bench has answered as under :-

(i) It is not mandatory that complete report was to be prepared by tehsildar him self but he may take assistance of other officials as well - It cannot be said that Tehsildar himself prepare the map fill the colour and demarcate the portion. In these works Tehsildar may take help of experts who can make map and demarcate the portion according to shares of the parties, but which portion has to be given to which party, the valuation of the portion allotted to each party the proportionate share in holding and other requirement of rule 20 to be finalised by the Tehsildar and the map and demarcation upon it to be made as per the direction and guidance of the Tehsildar itself. Before making all these works final the Tehsildar will cansider the objection of the parties if they are having any objection over the compliance of rule 20.

(ii) **Second question himself go to the site. Answer is in positive it mean that Tehsildar himself should go to the**

site. Now second question is whether Tehsildar. himself go to the site? To our mind, the answer is in positive. It is well known that Tehsildar is the land holder though land records are being kept by ILR and patwari in practice. Tehsildar is the authority who is having right to take the decision over the documents prepared and have check over it that these documents are being kept in proper manner. This is the reason why under the rules it has been written in mandatory from "shall" that the Tehsildar shall prepare the site map and make a demarcation over it, but at the same time we must keep in our mind that procedural law has been made for aid to justice and not for hindrance in the work of the courts. In this complex age if we are holding that it is mandatory for Tehsildar that he himself do all the works related to it, it will be a burden over the parties as well, because in such a case practcally it will not be possible for a Tehsildar to do all the concerned work. The Hon'ble Supreme Court specifically held that the work which is ministerial work in nature it can be delegated because of the complexity of the modern age. The rule of interpretation says that law must be interpreted harmoniously and it has to be given effect to sense which makes it easy. It should not be interpreted in such a way that creates injustice or hindrance in proper function.

(iii) Tehsildar will issue a notice to all concerned parties that they have to be present for pre paration of partition proposal at the sight. We are of the opinion that the Tehsildar will issue a notice to all the concerned parties that they have to be present for preparation of partition proposal at the site and the Tehsildar with concern ILR and patwari be present on the date and time given by the Tehsildar and will collect the relevant material and prepare the report there on will send it to the learned SDO. The Tehsildar shall prepare the proposal for division under his own seal and

signature. He cannot simply forward the report submitted by ILR, patwari and draftsman.

20- इस प्रकार उक्त नजीरों से स्पष्ट है कि तहसीलदार को उभयपक्ष को भली-भांति सूचित करने के पश्चात स्वयं द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये और उसे विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिये। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय पोषणीय नहीं है।

21- अतः दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19-4-2005 यथावत रखते हुये अन्तिम डिक्री दिनांक 8-6-2005 निरस्त की जाती है एवं विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 3-1-2006 निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः विद्वान सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाता है और निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर विधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य